न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल0आर0 एक्ट संख्या :–30/2019/जिला टोंक

1. प्रहलाद पुत्र श्रवण
2. गोविन्दनारायण पुत्र श्रवण
3. भवानीशंकर पुत्र श्रवण
4. मु0 गुलाब पत्नि श्रवण

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम नोहटा, तहसील निवाई, जिला टोंक।

5. श्रीमती गीता पुत्री श्रवण , जाति जाट, निवासी नोहटा, तहसील निवाई हाल निवासी ग्राम रूबास, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

––अपीलांट

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र रामपाल
2. नानगराम पुत्र रामपाल

दोनो समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम नोहटा, तहसील निवाई, जिला टोंक।

3. रामकल्याण पुत्र नारायणी(नारायण)
4. रामलाल पुत्र नारायणी(नारायण)
5. कन्हैयालाल पुत्र नारायणी(नारायण)
6. पुष्कर पुत्र नारायणी(नारायण)

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम भैंरूपुरा, तहसील निवाई, जिला टोंक।

7. कमलेशी पुत्री नारायणी(नारायण) जाति जाट निवासी ग्राम जौंला, तहसील पीपलू जिला टोंक।
8. राजन्ता पुत्री नारायणी(नारायण) जाति जाट निवासी ग्राम टहडा, जिला जयपुर।
9. ज्ञानता पुत्री नारायणी(नारायण) जाति जाट निवासी ग्राम निमोडिया, तहसील चाकसू जिला जयपुर।
10. ग्राम पंचायत नोहटा, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नोहटा, तहसील निवाई जिला टोंक।

––रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विदवान उपखण्ड अधिकारी, निवाई दिनांक 28.06.2019 जो अपील संख्या 11/2016 ''रामेश्वर बनाम प्रहलाद'' में पारित किया गया।

उपस्थित अभि0:–श्री हेमराज गुप्ता(वकील अपी0)

श्री समीर अहमद (वकील रेस्पो0 अभि0)

श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:42:31 IST
Reason: SelfAttested

<u>निर्णय</u>　　　　　　　　　　　　दिनांकः—25.08.2022

वर्तमान अपील उपखण्ड अधिकारी निवाई में प्रस्तुत अपील 11/2016 में उनके द्वारा निर्णय दिनांक 28.06.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की जा रही है। अपील के तथ्य इस प्रकार है।

ग्राम नोहटा तहसील निवाई के स्वर्गीय गंगाबिशन पुत्र नैहनू जाट के नाम पर कुल 27 खसरा नम्बर रकबा 39 बीघा 16 बिस्वा भूमि खातेदारी में दर्ज थी। अपीलांट के पिता श्रवण को गंगाबिशन द्वारा अपने पास रखा गया था तथा दिनांक 21.05.1959 को श्रवण पुत्र बालू के पक्ष में एक रजिस्टर्ड वसीयत उसको अपना गोद पुत्र मानते हुए तैयार करवायी गई है। उस दिनांक से श्रवण गंगाबिशन की भूमि पर काबिजकाश्त रहा।

दिनांक 26.12.1960 को नामातंरण संख्या 4 के द्वारा गंगाबिशन की उक्त भूमि श्रवण के नाम दर्ज हुई।

गंगाबिशन द्वारा एक राजस्व वाद संख्या 116/1964 दिनाक 13.07.1964 को सहायक कलक्टर टोंक के यहां श्रवण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। दिनांक 26.11.1964 को दोनों पक्षों के बीच राजीनामा हुआ तथा राजीनामें के आधार पर वाद डिक्री किया गया तथा 19 बीघा 19 बिस्वा भूमि गंगाबिशन की खातेदारी में तथा 19 बीघा 14 बिस्वा भूमि श्रवण के हिस्से में दर्ज की गई। उक्त निर्णय व डिक्री वर्तमान मे भी प्रभावी है।

इसके बाद गंगाबिशन द्वारा अपने हिस्से में आई हुई भूमि में से कुल 5 खसरा रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा भूमि का बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.04.1965 से गजानन्द पुत्र कल्याण के हक में किया गया। जिसके आधार पर नामातंरण संख्या 193 तस्दीक किया गया है।

गजानन्द पुत्र कल्याण को भूमि विक्रय के बाद शेष खसरा तथा भूमि 9 बीघा 16 बिस्वा रजिस्टर्ड बक्शीशनामा दिनांक 15.04.1965 को अपनी पुत्री मनभर पत्नि रामपाल जाट के हक में तस्दीक किया।

मनभर के वारिसान द्वारा श्रवण के कब्जेकाश्त में हस्तक्षेप किये जाने से श्रवण द्वारा एक वाद 92/1987 दिनांक 19.07.1987 को ए0सी0एम टोंक के यहां मनभर के प्रति रामलाल के पुत्रों के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया तथा एक प्रार्थना पत्र 212 संख्या 85/1987 भी प्रस्तुत किया। जिसको दिनांक 26.08.1987 से स्वीकार कर प्रतिवादीगण को पाबंद किया कि वे वादी के कब्जेकाश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करेगें।

एक अन्य वाद 93/1987 मनभर पत्नि [illegible] जाट के पुत्रों द्वारा श्रवण एवं अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत किया है तथा इसके साथ [illegible]12 टी0आई का प्रार्थना पत्र भी लगाया, जिसे खारिज कर दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:42:31 IST
Reason: SelfAttested

दोनो पक्षो द्वारा राजीनामा करने पर दिनांक 09.08.1988 को डिक्री प्रदान की गई। इसमे यह कहा गया कि श्रवण के हिस्से व खातेदारी की आराजी रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा भूमि बाबत प्रतिवादीगण को पाबंद किया गया। कि वे श्रवण के कब्जेकाश्त में हस्तक्षेप नहीं करेगें तथा मनभर एवं उसके वारिसान को प्राप्त 9 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर श्रवण हस्तक्षेप नहीं करेगा।

मगर मनभर और उसके वारिसान के द्वारा 22 वर्ष पश्चात मियाद बाहर एक अपील 107/2010 रामेश्वर बनाम प्रहलाद आरएए टोंक के यहां प्रस्तुत की गई। जिसको उन्होनें दिनांक 17.06.2011 को खारिज कर दिया। इससे रूष्ट होकर इन्होंने तीन अलग–अलग अपीले राजस्व मण्डल में रामकल्याण बनाम प्रहलाद(5215/2011),नानगराम बनाम प्रहलाद(5940/2011) तथा ज्ञानता बनाम प्रहलाद(6328/2011) राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की। दिनांक 30.06.2015 द्वारा राजस्व मण्डल द्वारा आंशिक स्वीकार कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड कर भिजवाया है, जहां पर यह विचाराधीन है।

मनभर के वारिसान द्वारा एक राजस्व वाद 120/2009 श्रवण के वारिसान के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। जो दिनांक 14.09.2009 को नये वाद प्रस्तुती की अनुमति के साथ विड्रो कर लिया गया।

रामपाल के वारिसान द्वारा पूर्व पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.08.1988 के विरूद्ध रिव्यू प्रार्थना पत्र के विरूद्ध नारायणी बनाम प्रहलाद(97/2010) दिनांक 20.07.2010 को उपखण्ड अधिकारी निवाई में प्रस्तुत किया है।

रेस्पो0 द्वारा 51 वर्ष के बाद नामातंरण संख्या 4 दिनांक 26.12.1960 के विरूद्ध एक अपील उपखण्ड अधिकारी निवाई के यहां प्रस्तुत की गई। जिसे दिनांक 28.06.2019 को उनके द्वारा स्वीकार किया है। नामातंरण संख्या 4 दिनांक 26.12.1960 को निरस्त कर दिया गया और पुनः जांच के लिए प्रकरण तहसीलदार निवाई को भेज दिया गया।

इससे से रूष्ट होकर वर्तमान अपील निम्नलिखित आधार पर प्रस्तुत की है–

1. रेस्पो0 द्वारा 96 सी0पी0सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का विवेचन किये बिना निर्णय किया गया। वह निरस्त किया गया।
3. रेस्पो0 द्वारा धारा 5 के प्रार्थना पत्र में उचित कारण नहीं बताये है।
4. नामातंरण संख्या 4 की जानकारी रेस्पो0 को काफी समय से थी।
5. उक्त अपील में गंगाबिशन द्वारा भूमि खरीदने वाले गजानन्द पुत्र कल्याण को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि वह भी आवश्यक पक्षकार है।
6. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्तियां दिनांक 0[illegible].04.2[illegible]7 पर अपील के अंतिम निर्णय के समय भी निस्तारित नहीं की गई।
7. नामातंरण की कार्यवाही से हक व अधिकार का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस समय वारिसान की जांच किया जाना संभव नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:42:31 IST
Reason: SelfAttested

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल नामातंरण को तलब किये बिना निर्णय किया है, जो गलत है।

9. अतः अपील स्वीकार की जायें तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.06.2019 निरस्त करते हुए नामातंरण संख्या 4 दिनांक 26.12.1960 बहाल रखा जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायें। जिसके अनुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2019 की आड़ में रेस्पो0 अपीलांट के कब्जेकाश्त में हस्तक्षेप कर उसे बेदखल करने पर आमादा है। सुविधा का संतुलन , अपूरणीय क्षति का बिन्दु एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2019 की पालना को स्थगित रखा जायें एवं रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाई रखी जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.06.2019 नामातंरण संख्या 4 की प्रमाणित प्रतिलिपीयां प्रस्तुत की गई।

अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया। बहस उभयपक्ष वकील सुनी गई।

अपीलांट के वकील हेमराज गुप्ता द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि कुल खसरा नम्बर 27 है तथा रकबा 39 बीघा 16 बिस्वा है तथा भूमि गंगाबिशन पुत्र नैहनू के नाम दर्ज थी। उनके कोई पुत्र नहीं था। भाई के पुत्र श्रवण को अपने पास रखा, गंगाबिशन द्वारा श्रवण के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 15.04.1959 को लिखवायी गई। दिनांक 21.05.1959 को बक्शीसनामा गंगाबिशन द्वारा श्रवण के पक्ष में लिखवाया गया। मगर नामातंरण बाबत कोई पालना नहीं हुई। इसके बाद गंगाबिशन और श्रवण के बीच मुकदमा चला। केस दिनांक 26.11.1964 ए0सी0एम कोर्ट टोंक उक्त मामले में राजीनामा होकर भूमि आधी–आधी कर दी गई। मगर आदेश की पालना राजस्व रिकोर्ड में नहीं है। इसके बाद गंगाबिशन द्वारा 10 बीघा भूमि गजानन्द पुत्र कल्याण जाट को विक्रय की गई। जिसके आधार पर नामातंरण संख्या 193 खोला गया। शेष भूमि पुत्री मनभर के नाम बक्शीस की गई। गंगाबिशन और मनभर की मृत्यु हो चुकी है। मनभर के वारिसान जब खेत पर आये तो विवाद हुआ। दो दावे थे जिनमें से एक उन्होने किया और एक हमने किया। राजीनामा होकर डिक्री हो गई। उक्त डिक्री के 21 वर्ष बाद आरएए टोंक के यहां 2010 में अपील दायर की। जो लिमिटेशन में नहीं होने पर दिनांक 17.06.2011 को खारिज कर दी। फिर इनके द्वारा राजस्व मण्डल में मनभर के बेटा और बेटी द्वारा पृथक–पृथक अपीले की। दिनांक 30.06.2012 को राजस्व मण्डल द्वारा पुनः एस0डी0ओ को प्रकरण रिमाण्ड किया गया। जो अभी विचाराधीन है। राजीनामा डिक्री के आधार पर नामातंरण संख्या 531 दिनांक 09.09.1989 को खोला गया था। हमारी अपील डिक्री की पालना में खोले गये नामातंरण के विरूद्ध मूल डिक्री अस्तित्व में नहीं होने से नामातंरण संख्या 531 चेलेंज हो चुकी है। इनके द्वारा अब नामातंरण संख्या 4 को चेलेंज किया गया। जो एस0डी0ओ द्वारा देरी को क्षमा करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:42:31 IST
Reason: SubAttested

हुए आंशिक रूप से मंजूर किया गया। वर्तमान अपील एस0डी0ओ के आदेश दिनांक 28.06.2019 के विरूद्ध है। धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना के प्रार्थना एस0डी0ओ के समक्ष लगाया जाना चाहिए था जो लगाया नहीं गया है।

बहस में वकील रेस्पो0 द्वारा बताया गया कि गंगाबिशन द्वारा वर्तमान अपीलांट के पिता श्रवण पुत्र बालू के पक्ष में दिनांक 21.05.1959 को लिखी गई थी। वसीयत मृत्यु के बाद ही लागू होती है। जबकि श्रवण ने गंगाबिशन के जीवनकाल में ही भूमि अपने नाम करवा ली थी। एस0डी0ओ ने बहस सुनकर दिनांक 28.06.2019 को हमारी अपील सुनकर नामातंरण संख्या 4 को खारिज करते हुए तहसीलदार निवाई को रिमाण्ड किया। नामातंरण संख्या 4 का आदेश विधिविरूद्ध था। अतः ऐसे विधिविरूद्ध आदेश में धारा 5 मियाद अधिनियम कोई आक्षेप नहीं करता है।

रिब्युटल में अपीलांट के वकील द्वारा बताया गया कि नामातंरण संख्या 4 की अपील बहुत देरी से प्रस्तुत की गई। तहसीलदार विधिक वारिसान की जांच नहीं कर सकता है। अतः एस0डी0ओ का आदेश दिनांक 28.06.2019 को खारिज किया जायें।

वकील अपीलांट श्री हेमराज गुप्ता द्वारा निम्न कानूनी नजीरे प्रस्तुत किये गये–

1. 2012(1) आरआरटी पेज 374,
2. 2021(1) आरआरटी पेज 19,
3. 2007 आरबीजे पेज 438(एससी),
4. 2003(2) आरआरटी पेज 870,
5. 2009(2) आरआरटी पेज 816

वकील अपीलांट द्वारा बहस के दौरान मुख्य रूप से निम्न बातों पर फोकस किया है–

1. एस0डी0ओ निवाई के समक्ष रेस्पो0 द्वारा नामातंरण संख्या 4 के विरूद्ध बहुत बहुत देरी के साथ प्रस्तुत की थी जिसे गलत तरीके से उपखण्ड अधिकारी द्वारा देरी को क्षमा करते हुए अपील को समय अवधि में माना था।

2. उनका यह कहना है कि अब तहसीलदार विधिक वारिसान की जांच कर पायें, यह संभव नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड अनुसार गंगाबिशन की मृत्यु दिनांक 10.10.1976 होना बताया है तथा मनभर की मृत्यु दिनांक 03.02.1981 को होना बताया गया है।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली(तहसीलदार निवाई) पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2069/72 ग्राम नौहटा खाता संख्या नया 33 गजानन्द पुत्र कल्याण , जमनादेवी बेवा नन्दराम तथा गोकुलदेवी पत्नि सुखदेव हिस्सा प्रत्येक का 1/3 सभी कौम जाट सभी का हिस्सा 1/3, 1/3 दर्ज है। उक्त खाते में खसरा नम्बर 403/1,429, 524/2, 545/1, 668/1, 613/[illegible], 849 खसरा नम्बर दर्ज है। गजानन्द पुत्र कल्याण का हिस्सा पंजाब नेशनल के नाम रहन दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:42:31 IST
Reason: SelfAttested

4. श्रवण द्वारा सहायक जिला कलक्टर टोंक न्यायालय में दावा संख्या 92/1987 अन्तर्गत धारा 188 आरटीए प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार नारायणी धर्म पत्नि

नारायण पुत्री रामपाल द्वारा एक दावा इसी न्यायालय में 93/1987 दर्ज करवाया था। विचारण न्यायालय द्वारा दोनों दावों को समेकित कर राजीनामें के आधार पर सुनवाई करने के पश्चात अपने निर्णय दिनांक 19.08.1988 को दावा डिक्री कर दिया गया। नारायणी के पक्ष द्वारा(रामेश्वर,नानगराम,रामपाल) द्वारा आरएए टोंक के न्यायालय में अपील संख्या 107/2010 प्रस्तुत की। अपने निर्णय दिनांक 17.06.2011 को अपील को मियाद बाहर मानते हुए, न्यायालय द्वारा अपील को` खारिज कर दिया गया। जिससे अप्रसन्न होकर इन लोगो द्वारा तीन अलग–अलग अपीले राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की है। जिसमें मण्डल ने यह माना कि राजीनामें के आधार पर जो निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा किया गया वह विधिविरूद्ध था तथा आरएए द्वारा भी मियाद अवधि के आधार पर अपील को खारिज किया जाना गलत माना तथा तीनों अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार कर दोनो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर दिए। प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय में प्रेषित कर निर्देश दिया कि उभयपक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करे तथा दावे एवं जवाब दावें के आधार पर तनकियात कायम कर तथा खातेदार के समस्त वारिसान को पक्षकारान बनाकर तनकिवार निर्णय पारित करें। उक्त निर्णय दिनांक 30.06.2015 को सुनाया गया।

वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2012(1) पेज 374 के अनुसार तृतीय पक्ष बिना धारा 96 सीपीसी दाखिल कर अनुमति लिये अपील दायर नहीं कर सकता है।

अन्य न्यायिक दृष्टांत 2021(1) आरआरटी पेज 19 के अनुसार कोई भी अजनबी व्यक्ति को अपील दायर करने की अनुमति नही दी जायेगी। जब तक कि वह व्यथित पक्ष से ना हो। इस बाबत जब कि वह न्यायालय को संतुष्ट ना कर दें। अन्य न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 438(एससी) के अनुसार जब तक देरी को क्षमा करने का संतोषजनग कारण नहीं हो देरी को क्षमा नहीं किया जा सकता है। अन्य न्यायिक दृष्टांत 2003(2) आरआरटी पेज 870 के अनुसार उत्तराधिकार का जटिल प्रश्न वसीयत अथवा दत्तक के जरिये नामातंरण कार्यवाही में अधिनिर्णित नहीं किया जा सकता है। टाइटल के अधिनिर्णय हेतु पक्षकार को उचित मंच की शरण लेनी चाहिए। अन्य न्यायिक दृष्टांत 2009(2) आरआरटी पेज 816 के अनुसार नामातंरण कार्यवाही से अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आक्षेप है कि अपील बहुत वर्षों बाद अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत की गई थी। विपक्षीगण को नामातंरण संख्या 4 बाबत पूर्व से ही जानकारी थी।

रामेश्वर,ननगराम, बजरंगा पुत्र रामपाल जाट ने श्रवण एवं अन्य के विरूद्ध 93/1987 नम्बर से 88,188 व [illegible] दावा किया था। उक्त दावे के पैरा नम्बर 8 में यह अंकित किया हुआ है [illegible] वादी नम्बर 1 श्रवण की नियत में अब फर्क आ गया है एवं अब उसने पटवारी हल्का से साझ करके अपने नाम न्यायालय अतिरिक्त टोंक के [illegible] 1.1964 के विपरीत अधिक भूमि अपने नाम लगवाई है एवं इसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है एवं वादीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:42:31 IST
Reason: Self Attested

दान में दी गई कब्जेशुदा भूमि को प्रतिवादीगण ने अपने नाम लगा ली है। इसके लिये वादीगण को घोषणा का दावा लाना लाजमी हुआ। वादीगण को उसका ज्ञान पटवारी हल्का से नकल लेने पर हुआ। इसी वादपत्र के पैरा 4 के अनुसार गंगाबिशन ने दिनांक 13.07.1964 को एक वाद धारा 88,188 का सहायक कलक्टर न्यायालय टोंक में प्रतिवादी नम्बर 1 श्रवण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। जिसमें दिनांक 26.11.1964 को राजीनामें के विरूद्ध निर्णय किया गया। वादपत्र के साथ सलंग्न सिडयुअल–अ के अनुसार दर्ज भूमियां वादी गंगाबिशन की रहेगी। सिडयुअल–ब के अनुसार भूमियां प्रतिवादी श्रवण की रहेगी। सिडयुअल अ के अनुसार गंगाबिशन के नाम दर्ज भूमियां निम्नानुसार है–खसरा नम्बर 282,285,291,292,299,372,388,403,423,429,456,504,524,545,568,610,664,686,703, 851,769/1266 कुल किता 21 कुल 19 बीघा 19 बिस्वा भूमि गंगाबिशन के नाम और शेष भूमि में से 19 बीघा 14 बिस्वा भूमि श्रवण के नाम तथा सिडयुअल–सी में अंकित भूमियां 403,429,524,545,568 कुल किता 5 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा भूमि गजानंद को विक्रय की गई थी। वह उसके नाम लगाई गई। तथा सिडयुअल–द में कुल रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा भूमि मनभर पुत्री गंगाबिशन को दान में दी गई थी।

वकील अपीलांट के अनुसार उक्त कोर्ट केस के फैसले का अमल–दरामद राजस्व रिकोर्ड में नहीं किया गया है। इस केस के द्वारा राजीनामा होकर आधी–आधी भूमि गंगाबिशन और श्रवण के नाम गई। गंगाबिशन द्वारा अपने हिस्से की 10 बीघा भूमि गजानन्द पुत्र कल्याण को विक्रय कर दी तथा शेष भूमि में से बक्शीस के द्वारा अपनी पुत्री मनभर के नाम कर दी।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मनभर के वारिसान को इस बात की जानकारी बहुत पहले से थी कि सारी जमीन श्रवण के नाम नामातंरण संख्या 4 से चढ चुकी है। उनके द्वारा बहुत देरी से नामातंरण संख्या 4 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा मनभर के वारिसान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट को सरसरी तौर पर बिना नियमों की पालना किये, बिना न्यायिक दृष्टांतो को देखे हुए निर्णय किया है जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में कही भी यह अंकित नहीं किया गया है कि उनको नामातंरण संख्या 4 बाबत कब जानकारी प्राप्त हुई और उस जानकारी दिनांक के बाद उनके द्वारा क्या–क्या किया जाकर अपील प्रस्तुत किया जाने का विवरण नहीं दिया है। जबकि न्यायिक दृष्टांत यह कहते है कि धारा 5 के प्रार्थना पत्र में प्रार्थी को प्रत्येंक दिवस का विवरण देना होगा। जिसकी वजह से वह अपील को देरी से प्रस्तुत कर पाया। अपील देरी से प्रस्तुत करने का अपीलांट द्वारा उस प्रार्थना पत्र में अज्ञानता व विश्वास में धोखे को बताया। इस प्रार्थना पत्र में उनके द्वारा यह बताया गया था कि उनकी ओर से नाथू पैरवी करता था और बाद में नाथू बोहरा उनकी पैरवी करना बंद कर दिया। जब उनके द्वारा स्वयं पैरवी करवाना शुरू किया गया तब उन्हें जानकारी हुई। प्रार्थी द्वारा जो कारण बताये गये थे वह बिल्कुल संतोषजनक नहीं थे तथा नियम, प्रक्रिया एवं न्यायिक दृष्टांतो मे बताये गये सिद्धांतो के बिल्कुल विपरित थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:42:31 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.06.2019 में नामातंरण संख्या 4 को निरस्त कर दिया है। मगर श्रवण की मृत्यु के बाद उसकी विरासत का नामातंरण संख्या 1023 तथा गजानन्द पुत्र कल्याण के पक्ष में किये गये विक्रय के आधार पर खोले गये नामातंरण संख्या 193 बाबत कोई निर्णय नहीं दिया है। जो उचित नहीं है। रजिस्टर्ड सैल डीड को सिर्फ सिविल न्यायालय ही निरस्त कर सकता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रकरण संख्या 11/2016 रामेश्वर बनाम प्रहलाद एस0डी0ओ0 निवाई का अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपील की कार्यवाही के दौरान अपीलांट द्वारा धारा 96 सीपीसी बाबत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही रेस्पो0 द्वारा तत्समय पत्रावली पर प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्तियों बाबत कोई निर्णय उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अपील निर्णय के दौरान नहीं किया गया। जबकि यह विधिवत था कि अपीलांट को उपखण्ड अधिकारी के समक्ष यह बताना था कि वह किस प्रकार व्यथित पक्षकार है। जबकि ऐसा नहीं किया गया। फिर भी उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जो प्रक्रिया के विरूद्व है। साथ ही अपील में तत्समय रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक बाबत भी कोई निर्णय उनके द्वारा नहीं किया गया। जो उचित नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत अपील में गंगाबिशन द्वारा भूमि खरीदने वाले गजानन्द पुत्र कल्याण को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि वह भी आवश्यक पक्षकार थे।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा बिना नियमों और प्रकियाओं की पालना किये बिना स्वैच्छाचारिता से निर्णय दिया है। धारा 5 के प्रार्थना पत्र को बिना उचित कारण के स्वीकार किया, आवश्यक पक्षकारों का संयोजन किये बिना निर्णय किया, बिना धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के मनभर के वारिसों को पत्रावली पर अपील करने को अनुमत किया जो बिल्कुल प्रचलित विधि एवं नियमों के विपरीत है। उपखण्ड अधिकारी निवाई के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2019 को किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2019 निरस्त योग्य है।

<u>कियात्मक आदेश</u>

अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश द्वारा उपखण्ड अधिकारी निवाई अन्तर्गत अपील संख्या 11/2016 निर्णय दिनांक 28.06.2019 निरस्त किया जाकर नामातंरण संख्या 4 ग्राम नोहटा तहसील निवाई दिनांक 26.12.1960 को बहाल किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 25.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:42:31 IST
Reason: SelfAttested

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर